संख्या- 145/2015-2308/नौ-5-2015-115बजट/2015

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सिढपुरा (**कासगंज**), नगर पंचायत एरच (**झांसी**), नगर पालिक परिषद नौतनवां (**महाराजगंज**), नगर पंचायत सिसौली (**मुजफफर नगर**), नगर पंचायत बढापुर, नगर पंचायत झालू, नगर पालिका परिषद नगीना (**बिजनौर**), नगर पंचायत मीरगंज (**बरेली**), नगर पंचायत कोंठ (**मुरादाबाद**), नगर पंचायत सिरसी (**सम्भल**), नगर पंचायत दोघट (**बागपत**) ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 05 मई, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'शहरी क्षेत्रों में अन्तयेष्टि स्थलों का विकास' योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-18/2015-730/नौ-5-2015-19 बजट/2014टीसी-1, दिनांक 18.02.2015, 6070/नौ-5-2015-197 बजट/2014टीसी-1, दिनाक 03.11.2014, 6535/नौ-5-2015-197 बजट/2014टीसी-1,दिनांक09.12.2014,57/2015-1507/नौ-5-15-2015-197बजट/2014टीसी, दिनांक 13.03.2015, 275/नौ-5-14-2015-197बजट/2014, दिनांक 02.02.2015, 07/2015-922/नौ-5-2015-197 बजट/2014, दिनांक 09.02.2015, एवं 03/नौ-5-2015-197 बजट/2014, दिनांक 05.01.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'शहरी क्षेत्रों में अन्तयेष्टि स्थलों का विकास' योजना' के अन्तर्गत के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 में नगर पंचायत सिढपुरा (**कासगंज**), नगर पंचायत एरच (**झांसी**), नगर पालिक परिषद नौतनवां (**महाराजगंज**), नगर पंचायत सिसौली (**मुजफफर नगर**), नगर पंचायत बढापुर, नगर पंचायत झालू, नगर पालिका परिषद नगीना (**बिजनौर**), नगर पंचायत मीरगंज (**बरेली**), नगर पंचायत कोंठ (**मुरादाबाद**), नगर पंचायत सिरसी (**सम्भल**), नगर पंचायत दोघट (**बागपत**) को द्वितीय एवं अंतिम किश्त के रूप में अन्त्येष्टि स्थल के विकास हेतु कुल ₹ 947.37 लाख (रू0 नौ करोड़ सैतालीस लाख सैतीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	शासनादेश सं0 एवं दिनांक, जिसके द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है।	शासनादेश दिनांक 18.02.2015 द्वारा निर्धारित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	शासनादेश दिनांक 18.02.2015 द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि	स्वीकृत द्वितीय एवं अंतिम किश्त की धनराशि
01	02	03	04	05	06	07
01	कासगंज	नगर पंचायत सिढपुरा	18/2015-730/नौ-5-2015-19 बजट /2014टीसी-1,दि0 18.02.2015	143.00	71.50	71.50

go samsan mangal font

02	झांसी	नगर पंचायत एरच	6070/नौ-5-2015-197बजट/ 2014टीसी-1,दि0 03.11.2014	91.54	45.77	45.77
03	महाराजगंज	नगर पालिक परिषद नौतनवां	6535/नौ-5-2015-197बजट /2014टीसी-1,दि0 09.12.2014	145.50	72.75	72.75
04	मुजफफर नगर	नगर पंचायत सिसौली	6535/नौ-5-2015-197बजट/2014 टीसी-1, दिनांक 09.12.2014	456.00	228.00	228.00
05	बिजनौर	नगर पंचायत बढ़ापुर	57/2015-1507/नौ-5-15-2015-197बजट/2014टीसी,दि013.03.2015	172.00	86.00	86.00
	बिजनौर	नगर पंचायत झालू	275/नौ-5-14-2015-197बजट /2014, दिनांक 02.02.2015	57.00	28.50	28.50
		नगर पालिका परिषद नगीना	275/नौ-5-14-2015-197बजट /2014, दिनांक 02.02.2015	119.20	59.60	59.60
		नगर पालिका परिषद नगीना	275/नौ-5-14-2015-197बजट /2014, दिनांक 02.02.2015	57.00	28.50	28.50
06	बरेली	नगर पंचायत मीरगंज	07/2015-922/नौ-5-2015-197 बजट/2014, दिनांक 09.02.2015	175.50	87.75	87.75
07	मुरादाबाद	नगर पंचायत कोंठ	03/नौ-5-2015-197 बजट/ 2014, दिनांक 05.01.2015	75.74	37.87	37.87
08	सम्भल	नगर पंचायत सिरसी	6623/नौ-5-2014-197बजट/2014 टीसी, दिनांक 09.12.2014	143.50	71.75	71.75
09	सम्भल	नगर पंचायत सिरसी	03/नौ-5-2015-197 बजट/ 2014, दिनांक 05.01.2015	182.00	91.00	91.00
10	बागपत	नगर पंचायत दोघट	57/2015-1507/नौ-5-15-2015 - 197बजट/2014टीसी,दि0 13.03.2015	76.76	38.38	38.38
			योग	1894.74	947.37	947.37

(रू0 नौ करोड़ सैतालीस लाख सैतीस हजार मात्र)

1. शासनादेश स0-18/2015-730/नौ-5-2015-19 बजट/2014टीसी-1, दिनांक 18.02.2015, शासनादेश 6070/नौ-5- 2015-197 बजट/2014टीसी-1, दिनाक 03.11.2014, शासनादेश 6535/नौ-5-2015-197 बजट/2014टीसी-1, दिनांक 09.12.2014, शासनादेश 57/2015-1507/नौ-5-15-2015- 197बजट/2014 टीसी, दिनांक 13.03.2015, शासनादेश 275/नौ-5-14-2015-197बजट/2014, दिनांक 02.02.2015, शासनादेश 07/2015-922/नौ-5-2015-197बजट/2014, दिनांक 09.02.2015, एवं शासनादेश 03/नौ-5-2015-197 बजट/2014, दिनांक 05.01.2015 द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुपालन सम्बन्धित नागर निकायों द्वारासुनिश्चित किया जाय।
2. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर /पी.एल.ए./ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

go samsan mangal font

3. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
4. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-5251/नौ-5-2014-329सा/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 एवं 05 जनवरी 2015 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
6. कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त भूमि के विवादित पाये जाने तथा कार्य कराये जाने पर व्यय धनराशि को शासकीय धनराशि का अपव्यय मानते हुए इसकी वसूली संबंधित नगर निकाय से कराकर राजकोष में जमा करायी जायेगी।
7. सामग्री/सम्पूर्ति का क्रय वित्त विभाग के क्रयादेशों के अनुसार किया जाय। यथावश्यक सामग्री की पूर्ति टेण्डर/रेट कान्टरेक्ट/डीजीएसएण्डडी की दरों पर ही किया जाय।
8. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाया सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
11. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
12. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत **'डिस्पले बोर्ड'** पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
13. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र गठित किये गये आगणन में उल्लिखित कार्यों के सापेक्ष कार्यवार शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2016 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
14. प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने पर सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्रस्तुत किये जायें।
15. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/ वरिष्ठ / लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2235 -सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-शहरी क्षेत्रों में अन्तर्येष्टि स्थलों का विकास-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-145/2015-2308/नौ-5-2015-115बजट/2015,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, मुरादाबाद/ बरेली/ झांसी/गोरखपुर/मेरठ ।
3. जिलाधिकारी, कासगंज/ झांसी/ महाराजगंज/ मुजफफर नगर/ बिजनौर/ बरेली/ मुरादाबाद/सम्भल/ बागपत ।
4. कोषाधिकारी, कासगंज/ झांसी/ महाराजगंज/ मुजफफर नगर/ बिजनौर/ बरेली/ मुरादाबाद/सम्भल/ बागपत ।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र. इलाहाबाद।
7. अध्यक्ष, नगर पंचायत सिढपुरा **(कासगंज)**, नगर पंचायत एरच **(झांसी)**, नगर पालिक परिषद नौतनवॉ **(महाराजगंज)**, नगर पंचायत सिसौली **(मुजफफर नगर)**, नगर पंचायत बढापुर, नगर पंचायत झालू, नगर पालिका परिषद नगीना **(बिजनौर)**, नगर पंचायत मीरगंज **(बरेली)**, नगर पंचायत कॉठ **(मुरादाबाद)**, नगर पंचायत सिरसी **(सम्भल)**, नगर पंचायत दोघट **(बागपत)** ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय व्ययक (अनुभाग-1)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

go samsan mangal font

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-05/05/2015

प्रेषण संख्या:- 145-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-145-2015-2308-9-5-2015-115Budget-2015

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण(आयोजनागत-मतदेय)
60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
800 - अन्य व्यय
03 - शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मुज़फ्फर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	22800000 22800000	22800000 22800000
2	बरेली-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8775000 11920000	8775000 11920000

3	बिजनौर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20260000 20260000	20260000 20260000
4	मुरादाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3787000 4632000	3787000 4632000
5	झाँसी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4577000 7507000	4577000 7507000
6	महाराजगंज-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7275000 7275000	7275000 7275000
7	बागपत-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3838000 3838000	3838000 3838000
8	कांसगंज-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7150000 7150000	7150000 7150000
9	सम्बल-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	16275000 16275000	16275000 16275000
	योग	वर्तमान प्रगामी	94737000 101657000	94737000 101657000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ करोड़ सैंतालीस लाख सैंतीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस करोड़ सोलह लाख सत्तावन हजार

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव